www.abcaus.in

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2021

No. 33/2021-Customs

G.S.R. 401(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 30/2021-Customs, dated the 1st May, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 313(E), dated the 1st May, 2021, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. CBIC-190354/63/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2021

सं. 04/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 402(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 690(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3) में , मद (iv) में, उप मद (च) के पश्चात्, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा -:

"बशर्ते कि 14 जून, 2021 से प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर, 2021 के समाप्त होने तक की अवधि में, उप मद (च) मे निर्दिष्ट सेवा विवरण पर केन्द्रीय कर, कॉलम (4) मे निर्दिष्ट दर के बावजूद, 2.5% की दर से लगेगा।"

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/63/2021-टीओ (टीआरयू-I) सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

www.abcaus.in

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2021-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 2 जून, 2021, जिसे सा.का.नि. 377 (अ), दिनांक 2 जून, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2021

No. 04/2021-Central Tax (Rate)

G.S.R. 402(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

2. In the said notification, in the Table, against serial number 3, in column (3), in item (iv), after clause (f), the following shall be inserted, namely, -

> "*Provided* that during the period beginning from the 14th June, 2021 and ending with the 30th September, 2021, the central tax on service of description as specified in clause (f), shall, irrespective of rate specified in column (4), be levied at the rate of 2.5 per cent.''.

[F. No. CBIC-190354/63/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 11/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 02/2021-Central Tax (Rate), dated the 2nd June, 2021 *vide* number G.S.R. 377(E), dated the 2nd June, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2021

सं. 04/2021-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 403(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1), (3) और (4), धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 20 के खंड (iii), (iv) और (xxv) के साथ पठित केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक

www.abcaus.in

28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

2. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3)में , मद (iv) में, उप मद (च) के पश्चात्, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा -:

"बशर्ते कि 14 जून, 2021 से प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर, 2021 के समाप्त होने तक की अवधि में, उप मद (च) मे निर्दिष्ट सेवा विवरण पर एकीकृत कर, कॉलम (4) मे निर्दिष्ट दर के बावजूद , 5% की दर से लगेगा ।"

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/63/2021-टीओ (टीआरयू-I) सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 08/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2021-एकीकृत कर (दर), दिनांक 2 जून, 2021, जिसे सा.का.नि. 378(अ), दिनांक 2 जून, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2021

No. 04/2021- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 403(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (3) and subsection (4) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clauses (iii), (iv) and (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, subsection (1) of Section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 08/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 28thJune, 2017, namely:-

2. In the said notification, in the Table, against serial number 3, in column (3), in item (iv), after clause (f), the following shall be inserted, namely, -

"*Provided* that during the period beginning from the 14th June, 2021 and ending with the 30th September, 2021, the integrated tax on service of description as specified in clause (f), shall, irrespective of rate specified in column (4), be levied at the rate of 5 per cent.''.

[F. No. CBIC-190354/63/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 8/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by Notification No. 02/2021- Integrated Tax (Rate), the 2nd June, 2021 *vide* number G.S.R. 378(E), dated the 2nd June, 2021.

www.abcaus.in

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2021

सं. 04/2021-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 404(अ).—संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 8 की उप धारा (1) और धारा 21 के खंड (iv), (v) और खंड (xxvii) के साथ पठित केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्र सरकार, जी एस टी परिषद की सिफ़ारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुये कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा. का. नि. 702(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राज-पत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

2. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3) में, मद (iv) में, उप मद (च) के पश्चात्, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते कि 14 जून, 2021 से प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर, 2021 के समाप्त होने तक की अवधि में, उप मद (च) मे निर्दिष्ट सेवा विवरण पर संघ राज्यक्षेत्र **कर**, कॉलम (4) मे निर्दिष्ट दर के बावजूद, 2.5% की दर से लगेगा।"

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/63/2021-टीओ (टीआरयू-I) सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 702(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2021- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 2 जून, 2021, जिसे सा.का.नि. 379 (अ), दिनांक 2 जून, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2021

No. 04/2021-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 404(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8, clauses (iv), (v) and (xxvii) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

2. In the said notification, in the Table, against serial number 3, in column (3), in item (iv), after clause (f), the following shall be inserted, namely, -

> " *Provided* that during the period beginning from the 14th June, 2021 and ending with the 30th September, 2021, the union territory tax on service of description as specified in clause (f), shall, irrespective of rate specified in column (4), be levied at the rate of 2.5 per cent.''.

[F. No. CBIC-190354/63/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

www.abcaus.in

Note : The principal notification No. 11/2017 - Union Territory Tax (Rate), dated the 28thJune, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by Notification No. 02/2021- Union Territory Tax (Rate), the 2nd June, 2021 *vide* number G.S.R. 379(E), dated the 2nd June, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2021

सं. 05/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 405(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतश्मिन प्रश्चात जिसे “उक्त अधिनियम” से संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार,इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद कीसिफारिशों के आधार पर,एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो के अंतर्गत आती है, को उक्त अधिनिमय की धारा 9 के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले केन्द्रीय कर से उस सीमा तक छूट देती है जितने से की वह उक्त सारणी के कॉलम (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक होती हो, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	**अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद**	**वस्तु का विवरण**	**दर**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2804	मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन	2.5%
2	30	टोसीलीजुमेब	शून्य
3	30	एम्फोटेरिसिन बी	शून्य
4	30	रेमडेसीवीर	2.5%
5	30	हेपरिन (एंटी-कोआगुलंट)	2.5%
6	3002 या 3822	कोविड-19 टेस्टिंग किट्स	2.5%
7	3002 या 3822	इनफ्लोमेटरी डायग्नोस्टिक (मार्कर) किट्स , जैसे कि – आई एल 6, डी-डीमर, सीआरपी (सी-रिएक्टिव प्रोटीन), एलडीएच (लेक्टेट डी-हाइड्रोजीनेस), फेरीटीन, प्रो केलसीटोनीन (पीसीटी) और ब्लड गैस रिएजेंट्स	2.5%
8	3804 94	हैंड सेनेटाइजर	2.5%
9	6506 99 00	हेलमेट्स, नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन के साथ प्रयोग के लिए	2.5%
10	8417 या 8514	क्रिमेटोरियम में प्रयोग के लिए गैस/इलैक्ट्रिक/ अन्य प्रकार की भट्टियां	2.5%
11	9018 19 या 9804	पल्स ऑक्सीमीटर	2.5%
12	9018	हाई फ्लो नेसल कैनूला डिवाइस	2.5%
13	9019 20, 9804	ऑक्सीजन कंसंटरेटर/जनरेटर	2.5%
14	9018 या 9019	वेंटिलेटर	2.5%
15	9019	बाई पीएपी मशीन	2.5%

www.abcaus.in

16	9019	(i) नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेशन नेस्ल या ओरोनेस्ल मास्क, आईसीयू वेंटिलेटर के लिए (ii) केनुला, वेंटिलेटर के साथ प्रयोग किए जाने के लिए	2.5%
17	9025	ताप मापक उपकरण	2.5%
18	8702 या 8703	एंबुलेंसेस	6%

2. यह अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/63/2021-टीओ (टीआरयू-I) सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2021

No. 05/2021-Central Tax (Rate)

G.S.R. 405(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act"), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), of the Table below, from the so much of the central tax leviable thereon under section 9 of the said Act, as in excess of the amount as specified in corresponding entry in column (4) of the aforesaid Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2804	Medical Grade Oxygen	2.5%
2	30	Tocilizumab	Nil
3	30	Amphotericin B	Nil
4	30	Remdesvir	2.5%
5	30	Heparin (anti-coagulant)	2.5%
6	3002 or 3822	Covid-19 testing kits	2.5%
7	3002 or 3822	Inflammatory Diagnostic (marker) kits, namely- IL6, D-Dimer, CRP (C-Reactive Protein), LDH (Lactate De-Hydrogenase), Ferritin, Pro Calcitonin (PCT) and blood gas reagents.	2.5%
8	3804 94	Hand Sanitizer	2.5%
9	6506 99 00	Helmets for use with non-invasive ventilation	2.5%
10	8417 or 8514	Gas/Electric/other furnaces for crematorium	2.5%
11	9018 19 or 9804	Pulse Oximeter	2.5%
12	9018	High flow nasal canula device	2.5%
13	9019 20 or 9804	Oxygen Concentrator/ generator	2.5%
14	9018 or 9019	Ventilators	2.5%
15	9019	BiPAP Machine	2.5%

www.abcaus.in

16	9019	(i) Non-invasive ventilation nasal or oronasal masks for ICU ventilators (ii) Canula for use with ventilators	2.5%
17	9025	Temperature check equipment	2.5%
18	8702 or 8703	Ambulance	6%

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 30th September, 2021.

[F. No. CBIC-190354/63/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2021

सं. 05/2021-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 406(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) (एतश्मिन प्रश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार,इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद कीसिफारिशों के आधार पर,एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो के अंतर्गत आती है, को उक्त अधिनिमय की धारा 5 के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले एकीकृत कर से उस सीमा तक छूट देती है जितने से की वह उक्त सारणी के कॉलम (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक होती हो यथा:

सारणी

क्र.सं.	**अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद**	**वस्तु का विवरण**	**दर**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2804	मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन	5%
2	30	टोसीलीजुमेब	शून्य
3	30	एम्फोटेरिसिन बी	शून्य
4	30	रेमडेसीवीर	5%
5	30	हेपरिन (एंटी-कोआगुलंट)	5%
6	3002 या 3822	कोविड-19 टेस्टिंग किट्स	5%
7	3002 या 3822	इनफ्लोमेटरी डायग्नोस्टिक (मार्कर) किट्स , जैसे कि – आई एल 6, डी-डीमर, सीआरपी (सी-रिएक्टिव प्रोटीन), एलडीएच (लेक्टेट डी-हाइड्रोजीनेस), फेरीटीन, प्रो केलसीटोनीन (पीसीटी) और ब्लड गैस रिएजेंट्स	5%
8	3804 94	हैंड सेनेटाइजर	5%
9	6506 99 00	हेलमेट्स, नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन के साथ प्रयोग के लिए	5%
10	8417 या 8514	क्रिमेटोरियम में प्रयोग के लिए गैस/इलैक्ट्रिक/ अन्य प्रकार की भट्टियां	5%
11	9018 19 या 9804	पल्स ऑक्सीमीटर	5%

www.abcaus.in

12	9018	हाई फ्लो नेसल कैनूला डिवाइस	5%
13	9019 20 या 9804	ऑक्सीजन कंसंटरेटर/जनरेटर	5%
14	9018 या 9019	वेंटिलेटर	5%
15	9019	बाई पीएपी मशीन	5%
16	9019	(i) नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेशन नेस्ल या ओरोनेस्ल मास्क, आईसीयू वेंटिलेटर के लिए (ii) केनुला, वेंटिलेटर के साथ प्रयोग किए जाने के लिए	5%
17	9025	ताप मापक उपकरण	5%
18	8702 या 8703	एंबुलेंसेस	12%

2. यह अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/63/2021-टीओ (टीआरयू-I) सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2021

No. 05/2021-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 406(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act"), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), of the Table below, from the so much of the integrated tax leviable thereon under section 5 of the said Act, as in excess of the amount as specified in corresponding entry in column (4) of the aforesaid Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	2804	Medical Grade Oxygen	5%
2	30	Tocilizumab	Nil
3	30	Amphotericin B	Nil
4	30	Remdesvir	5%
5	30	Heparin (anti-coagulant)	5%
6	3002 or 3822	Covid-19 testing kits	5%
7	3002 or 3822	Inflammatory Diagnostic (marker) kits, namely- IL6, D-Dimer, CRP (C-Reactive Protein), LDH (Lactate De-Hydrogenase), Ferritin, Pro Calcitonin (PCT) and blood gas reagents.	5%
8	3804 94	Hand Sanitizer	5%

www.abcaus.in

9	6506 99 00	Helmets for use with non-invasive ventilation	5%
10	8417 or 8514	Gas/Electric/other furnaces for crematorium	5%
11	9018 19 or 9804	Pulse Oximeter	5%
12	9018	High flow nasal canula device	5%
13	9019 20 or 9804	Oxygen Concentrator/ generator	5%
14	9018 or 9019	Ventilators	5%
15	9019	BiPAP Machine	5%
16	9019	(i) Non-invasive ventilation nasal or oronasal masks for ICU ventilators (ii) Canula for use with ventilators	5%
17	9025	Temperature check equipment	5%
18	8702 or 8703	Ambulances	12%

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 30th September, 2021.

[F. No. CBIC-190354/63/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2021

सं. 05/2021-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 407(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) (एतश्मिन प्रश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 8 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार,इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद कीसिफारिशों के आधार पर,एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो के अंतर्गत आती है, को उक्त अधिनिमय की धारा 7 के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले संघ राज्य कर से उस सीमा तक छूट देती है जितने से की वह उक्त सारणी के कॉलम (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक होती हो, यथा :

सारणी

क्र.सं.	**अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद**	**वस्तु का विवरण**	**दर**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2804	मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन	2.5%
2	30	टोसीलीजुमेब	शून्य
3	30	एम्फोटेरिसिन बी	शून्य
4	30	रेमडेसीवीर	2.5%
5	30	हेपरिन (एंटी-कोआगुलंट)	2.5%
6	3002 या 3822	कोविड-19 टेस्टिंग किट्स	2.5%

www.abcaus.in

7	3002 या 3822	इनफ्लोमेटरी डायग्नोस्टिक (मार्कर) किट्स , जैसे कि – आई एल 6, डी-डीमर, सीआरपी (सी-रिएक्टिव प्रोटीन), एलडीएच्च (लेक्टेट डी-हाइड्रोजीनेस), फेरीटीन, प्रो केलसीटोनीन (पीसीटी) और ब्लड गैस रिएजेंट्स	2.5%
8	3804 94	हैंड सेनेटाइजर	2.5%
9	6506 99 00	हेलमेट्स, नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन के साथ प्रयोग के लिए	2.5%
10	8417 या 8514	क्रिमेटोरियम में प्रयोग के लिए गैस/इलैक्ट्रिक/ अन्य प्रकार की भट्टियां	2.5%
11	9018 19 या 9804	पल्स ऑक्सीमीटर	2.5%
12	9018	हाई फ्लो नेसल कैनूला डिवाइस	2.5%
13	9019 20 या 9804	ऑक्सीजन कंसंटरेटर/जनरेटर	2.5%
14	9018 या 9019	वेंटिलेटर	2.5%
15	9019	बाई पीएपी मशीन	2.5%
16	9019	(i) नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेशन नेस्ल या ओरोनेस्ल मास्क, आईसीयू वेंटिलेटर के लिए (ii) केनुला, वेंटिलेटर के साथ प्रयोग किए जाने के लिए	2.5%
17	9025	ताप मापक उपकरण	2.5%
18	8702 या 8703	एंबुलेंसेस	6%

2. यह अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/63/2021-टीओ (टीआरयू-I) सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2021

No. 05/2021-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 407(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) (hereafter in this notification referred to as “the said Act”), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), of the Table below, from the so much of the union territory tax leviable thereon under section 7 of the said Act, as in excess of the amount as specified in corresponding entry in column (4) of the aforesaid Table, namely:-

www.abcaus.in

TABLE

Sl. No.	**Chapter, Heading, Sub-heading or Tariff item**	**Description of Goods**	**Rate**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	2804	Medical Grade Oxygen	2.5%
2	30	Tocilizumab	Nil
3	30	Amphotericin B	Nil
4	30	Remdesvir	2.5%
5	30	Heparin (anti-coagulant)	2.5%
6	3002 or 3822	Covid-19 testing kits	2.5%
7	3002 or 3822	Inflammatory Diagnostic (marker) kits, namely- IL6, D-Dimer, CRP (C-Reactive Protein), LDH (Lactate De-Hydrogenase), Ferritin, Pro Calcitonin (PCT) and blood gas reagents.	2.5%
8	3804 94	Hand Sanitizer	2.5%
9	6506 99 00	Helmets for use with non-invasive ventilation	2.5%
10	8417 or 8514	Gas/Electric/other furnaces for crematorium	2.5%
11	9018 19 or 9804	Pulse Oximeter	2.5%
12	9018	High flow nasal canula device	2.5%
13	9019 20 or 9804	Oxygen Concentrator/ generator	2.5%
14	9018 or 9019	Ventilators	2.5%
15	9019	BiPAP Machine	2.5%
16	9019	(i) Non-invasive ventilation nasal or oronasal masks for ICU ventilators (ii) Canula for use with ventilators	2.5%
17	9025	Temperature check equipment	2.5%
18	8702 or 8703	Ambulance	6%

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 30th September, 2021.

[F. No. CBIC-190354/63/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.